

13-12-2025

21. एमजेसीआर/26/2024

नेशनल लोक अदालत (खण्डपीठ क्रमांक 08)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला आगर मालवा म.प्र. के
पृष्ठांकन क्रमांक फा.नं. 04/नेश. लोक. अदा./जिविसेप्रा/1/1/2025
आगर मालवा म.प्र. दिनांक 13.12.2025 के पालन में लोक अदालत
आयोजित की गयी

आवेदिका द्वारा श्री परमार अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण आवेदिका के साक्ष्य हेतु नियत है।

आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष का राजीनामा हो चुका है एवं दोनों आपस में साथ में रह रहे हैं। आवेदिका प्रकरण नहीं चलाना चाहती है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदिका द्वारा यह आवेदन धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण राशि की प्राप्ति हेतु अनावेदक के विरुद्ध पेश किया गया था।

प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण न चलाने के संबंध में आदेश पत्रिका के रिमार्क कॉलम में लेख किया जा चुका है। ऐसी स्थितियों में प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्यवाही की जाना शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम उचित समयावधि में सीआईएस पर दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

सुश्री सीमा राठौर
सुलहकर्ता सदस्य
खण्डपीठ क्रमांक 08

(वंशिता गुप्ता)
न्यायाधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सुसनेर जिला आगर मालवा म.प्र.